

22⁰⁴/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकील अशोक /
अन्य कार्य में अरुण अशोक पत्रावली
दिनांक 06.06.24 को पेश हो।
रीडर

06⁰⁶/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकील अशोक /
बास्ते 06.06.24 को पेश हो। 18/06/24
रीडर

18⁰⁶/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकील अशोक /
बास्ते 06.06.24 को पेश हो। 07/08/24
रीडर

07⁰⁸/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त वकील
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते
हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन
किया। राजपरोकार ने जवाब साकार के
अनुसार दौरे के वदम निवेदन किया कि
वादागत भूमि ग्राम किल्लूरिया के खतानः 28
रकबा 25 बीघा जौत सिंह पुत्र जसबन्त ठिं
जाति राजपूत निवासी किल्लूरिया को 50M
(N) बीकानेर द्वारा आवंटित की गयी जबकि
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्वज का नाम
गलत दर्शाकर राजस्व रिकॉर्ड में अटिचे
न्यायालय परिवर्तन करवा कर भूमि रजिस्ट्रार
उत्प्रेषण फाइल में ही राजपरोकार ने बताया
कि उक्त भूमि के खाते पर ग्राम किल्लूरिया या
सदक्षीत क्षेत्र में काफी लम्बे समय से निवास नहीं
कर रहे हैं और न ही इस भूमि पर अधिकार
करते हैं। वर्तमान में यह भूमि पर खाते पर
डाटा काश्त नहीं की जा रही है अतः इस भूमि



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

के मूल खातेदार की तलाश के कार्र्गीप्रधान
स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में किये
जा चुके हैं इस प्रकार यह भूमि राज्यसरकार
में निहित हो जानी चाहिए। वहात उभयपक्षधनी
गामी। वहात पर मनन किया गया। बाद वहात
पार्सी का पार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित
प्रतीत होता है अतः पार्थना पत्र खार्थी खारिज
किया जाता है एवं तहसीलदार लुनकरणसर
को इसबाबत तहरीर जारी हो कि वादातश्रुति
के खातेदार के संबंध में सम्मक जांच करे व
निपमानुसार कार्र्वाही करते हुए खातेदार द्वारा
वादातश्रुति के संबंध में अधिका प्रकलनी
कले पर एवं जांच से संतुष्ट होने के उपान्त
वादातश्रुति को आराजीएज दर्ज कर वहात
वहात सरकार लेकर पालना से न्यायालय को
अवगत करावे। निर्णय से इजलास हुआ
गया। पत्रावली फिलथुमा वी नभरले
कम होकर हब कायदा दाखिल सफ्त हो।



Tayendhe
उपरखण्ड अधिकारी
लुनकरणसर